



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082025-265627
CG-DL-E-22082025-265627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3740]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2025/श्रावण 31, 1947

No. 3740]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2025/SHRAVANA 31, 1947

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3845 (अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने पूर्व के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में भारत सरकार की 7 अक्टूबर, 2016 को जारी अधिसूचना एस.ओ 3187 (ई), में निम्नलिखित संशोधन किया है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के कॉलम (3) में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
		(i) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, विशेष आमंत्रित व्यक्ति, पदेन;"।

[फा.सं. स्था.01/2016-17/0111/एनएमसीजी]

एस.पी. वशिष्ठ, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या एस.ओ. 3187 (ई), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
(NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3845—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016, namely: -

In the said notification, in the SCHEDULE, in column (3), after item (i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely: —

(1)	(2)	(3)
		"(ia) Director General, National Mission for Clean Ganga, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti — Special Invitee, <i>ex-officio</i> ;"

[F. No. Estt. 01/2016-17/0111/NMCG]

S.P. VASHISHTH, Executive Director (Administration)

Note: —The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016.